

प्रशासन गाँवों के समं अभियान 2021

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0  
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

गदोमर/35

1. खण्ड गदोमर के खता नं० 66 (जमाबंदी पत्र 2075-78) में उपर्युक्त आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई है। जो कि सही दर्तावेजी आधार पर दयाचन्द पु० रामकरण किया जाना उचित है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

29-10-21

क्रमांक : राजस्व/2020/

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशाप की जाती है।

21239

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला मुंझुनू (राज.)

आदेश :-

दिनांक :- 29/10/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दर्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नलिखित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामत के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
01	गदोमर	2075-78	66	दयाचन्द पु० रामकरण	दयाचन्द पु० रामकरण

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 542-543

प्रतिनिधि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वारंते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया

243  
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 29/10/21

को सूचनार्थ।

243  
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

